मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *352
19.03.2021 को उत्तर के लिए

झीलों का संरक्षरण

***352 श्री चिराग कुमार पासवान :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देशभर में झीलों की संख्या में काफी कमी हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बिहार सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने देशभर में ऐसी झीलों को बचाने / उनका संरक्षण / पुनरूद्धार करने हेतु किंही योजनाओं की शुरूआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(घ) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में स्थित प्राकृतिक झीलों का संरक्षण करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'झीलों के संरक्षण' के संबंध में श्री चिराग कुमार पासवान द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *352 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : तेजी से होने वाले शहरीकरण, विकास संबंधी कार्यकलापों और मानव-जनित दबावों के कारण जल निकायों का निश्चित तौर पर दोहन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग झीलों तथा नमभूमियों की पूर्व स्थिति में बहाली, उनके संरक्षण और परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों को राज्य सरकारों के द्वारा ही अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाबद्ध, वित्तपोषित, निष्पादित और अनुरक्षित किया जाता है। बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके झीलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) से (ड.) : जी हां। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा वर्तमान में देश में अभिज्ञात नमभूमियों (झीलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर राष्ट्रीय जलीय पारि-तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, अपशिष्ट जल के अंतरावरोधन, अपवर्तन और शोधन, तट-रेखा की सुरक्षा, झील तटाग्र का विकास, स्व-स्थाने सफाई अर्थात् गाद हटाना और खर-पतवार नष्ट करना, तूफानी जल का प्रबंधन, जैविक उपचार, जलग्रहण क्षेत्र शोधन, झील का सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैविक बाड़, मत्स्य क्षेत्र का विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

एनपीसीए स्कीम के तहत, विद्यमान दिशानिर्देशों तथा बजट की उपलब्धता के अनुरूप राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अब तक देश में 157 नमभूमियों के संरक्षण हेतु परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और केंद्रीय अंशदान के रूप में लगभग 1039.0 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के उद्देश्य से, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत भू-तल लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पूर्व स्थिति में बहाली (आरआरआर) योजनाएं आदि जैसी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के संधारणीय विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पूर्व स्थिति में बहाली (आरआरआर) योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जल निकायों के सुधार और उनकी पूर्व स्थिति में बहाली के माध्यम से, और इस प्रकार जलाशय की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर तथा उसकी सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले जल की खोई हुई क्षमता को फिर से बहाल करके, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विस्तार करना है। साथ ही, इसके अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे- जल के उपयोग की कुशलता में सुधार लाना, भू-जल का पुनर्भरण करना, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि करना, तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र में सुधार लाना आदि। इस स्कीम के तहत शामिल किए गए जल निकाय अतिक्रमण से मुक्त हैं। इसमें न्यूनतम 5.0 हेक्टेयर जल-विस्तार क्षेत्र वाले ग्रामीण जल निकाय और 2.0 हेक्टेयर से 10.0 हेक्टेयर तक के जल-विस्तार क्षेत्र वाले शहरी जल निकाय शामिल हैं।

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पूर्व स्थिति में बहाली (आरआरआर) योजनाओं के तहत, बारहवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक, 1914.86 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 2228 जल निकायों को शामिल किया गया है। मार्च, 2020 तक राज्यों को 433.9 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता (सीए) राशि जारी की गई है। इसके अलावा, मार्च, 2020 तक 1465 जल निकायों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किए जाने की सूचना मिली है। इन योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता की बहाली का लक्ष्य 1.89 लाख हेक्टेयर है और इसमें से मार्च, 2020 तक 1.319 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बहाल किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में, आज की तारीख तक जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पूर्व स्थिति में बहाली (आरआरआर) योजनाओं के लिए 35.79 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

*****